



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 915]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939

No. 915]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1377(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल: js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसके बाद मूल नियम के रूप में संदर्भित) में नियम 47 में,
- (i) उप-नियम (1) में, खंड (छ) में, शब्दों और आंकड़ों “ढांचा विनिर्माताओं (बॉडी बिल्डर्स) से फॉर्म 22ए” के पश्चात, निम्नलिखित शब्दों और आंकड़ों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
- “और, किसी बस बॉडी ढांचा फैब्रिकेटर (इसके बाद बस ढांचा निर्माता के रूप में संदर्भित) द्वारा ड्राइव अवे चेसिस पर निर्मित बस ढांचे के स्व-प्रमाणन के मामले में, फॉर्म 22बी में अनुपालन-प्रमाणपत्र”;
- (ii) उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः
- “(4) इस उप-नियम के प्रारंभ होने पर तथा इसके बाद से, प्रत्येक बस ढांचा विनिर्माता द्वारा पोर्टल <https://www.vahan.nic.in/makermodel> में संबंधित ड्राइव अवे चेसिस के बारे में बस ढांचे से संबंधित विवरण अपलोड किए जाएंगे”
3. मूल नियमों में, नियम 126 में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थातः-
- “बशर्ते यह भी कि बस ढांचा विनिर्माता, केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित पद्धति के अनुसार, बस ढांचा डिजाइन और अनुमोदन के लिए कोड एवं पद्धति (इसमें इसके बाद बस ढांचा कोड के रूप में संदर्भित) [समय-समय पर यथा संशोधित, एआईएस: 052] की अपेक्षाओं के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए ड्राइव अवे चेसिस पर निर्मित बस ढांचे को स्वयं प्रमाणित करेगा”
4. मूल नियमों में, फॉर्म 22ए के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"फॉर्म 22बी

[नियम 47 (1) (छ) देखें]

भाग-ए

बस ढांचा विनिर्माता द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, बस ढांचा डिजाइन और अनुमोदन के लिए कोड एवं पद्धति (इसमें इसके बाद बस ढांचा कोड के रूप में संदर्भित) एआईएस: 052 के प्रावधानों के अनुसार ड्राइव अवे चेसिस पर निर्मित बस ढांचे के अनुपालन का प्रारंभिक स्व-प्रमाण-पत्र

1.	बस- ढांचा निर्माता का नाम, पता और टेलीफोन नंबर	
2.	प्रत्यायन प्रमाण पत्र विवरण	
3.	चेसिस का विवरण जिस पर बस का निर्माण होता है	
3.1	चेसिस निर्माता का ब्यौरा	
3.2	चेसिस नंबर	
3.3	चेसिस का प्रकार: सीट्टी / अर्द्ध-अविभाज्य/अविभाज्य	
3.4	इंजन मेक और मॉडल	
3.5	वाहन पर इंजन की स्थिति	
3.6	ईंधन का प्रकार	
3.7	इंजन नंबर	

3.8	व्हील बेस	
3.9	संचरण का प्रकार	
4.	चेसिस पर निर्मित बस-ढांचे का विवरण	
4.1	टाइप I/II/III	
	कंफर्ट श्रेणी [एनडीएक्स/एसडीएक्स/डीएलएक्स/एसीएक्स]	
4.2	(i) डिज़ाइन्ड सीटिंग (ii) डिज़ाइन्ड बर्थ क्षमता (यदि लागू हो) (iii) महिलाओं / वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीट आरक्षण (iv) यथा अनुप्रयोज्य स्टैडिंग क्षमता लेआउट ड्राइंग को संलग्न करें	
4.3	कर्व भार	
5.	समग्र आयाम (i) लंबाई (ii) चौड़ाई (iii) ऊंचाई (iv) फ्रंट ओवरहैंग (v) रियर ओवरहैंग आयाम को इंगित करने वाला आरेखण संलग्न करें	
6.	आंतरिक आयाम, तकनीकी और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं	
6.1	सर्विस दरवाजे: (i) सर्विस दरवाजों की संख्या (ii) सर्विस दरवाजे का प्रकार (मैनुअल / पावर संचालित /स्वचालित) (iii) स्थान / स्थिति (लागू आवश्यकताओं के अनुसार आयामों को प्रस्तुत किया जाना)	
6.2	खिड़कियां: (i) खिड़कियों का प्रकार (ii) खिड़कियों की संख्या (iii) खिड़कियों की स्थिति/स्थान (iv) खिड़कियों के आयाम प्रदान की गई खिड़कियों का विवरण संलग्न करें	
6.3	गार्ड रेलिंग - रक्षक रेलिंगों का विवरण संलग्न करें	
6.4	आपातकालीन निकास:	

	<ul style="list-style-type: none"> (i) निकासों की संख्या (ii) निकासों का स्थान (iii) आपातकालीन निकास का प्रकार (अर्थात् आपातकालीन दरवाजे/आपातकालीन खिड़कियां/आपातकालीन जालियां इत्यादि) 	
6.5	आपात कालीन दरवाजा: <ul style="list-style-type: none"> (i) आयाम (ii) स्थिति (iii) अंदर या बाहर या दोनों ओर से खोलना (iv) प्रवेश (v) सुरक्षा इंटर-लॉक (vi) खुली स्थिति में चेतावनी अलार्म 	
6.6	आपातकालीन खिड़की: <ul style="list-style-type: none"> (i) आपातकालीन खिड़की का प्रकार (ii) आयाम (iii) स्थिति (iv) आपातकालीन खिड़की खोलने की विधि (v) आपातकालीन खिड़कियों की संख्या (vi) विंडो ग्लास ब्रेकिंग प्रावधान 	
6.7	निकास जालियां: <ul style="list-style-type: none"> (i) आपातकालीन जालियों के प्रकार (ii) आयाम, स्थिति (iii) आपातकालीन जालियों की संख्या (iv) खोलने की विधि (v) ग्लास ब्रेकिंग प्रावधान 	
6.8	आपातकालीन निकास के निशान के तरीके और प्रक्रिया का विवरण	
6.09	सुरक्षा संकेतों का विवरण:	
6.10	सीढ़ियां: दरवाजा सीढ़ियों की संख्या सीढ़ियों की ऊँचाई सीढ़ियों के आयाम क्या वापस लेने योग्य या/खुलने और बंद होने वाली सीढ़ियों का प्रावधान किया गया है।	
6.11	सर्विस दरवाजे से वाहन में प्रवेश का स्थान का ब्यौरा	

6.12	फर्श क्षेत्र और ऊंचाई का पैमाना: (i) फर्श का क्षेत्रफल (ii) फर्श की ऊंचाई	
6.13	प्रवेश पथ्य और पहुँच मार्ग की ऊंचाई, चौड़ाई और ढलान का विवरण	
6.14	मार्ग क्षेत्र, सेवा दरवाजा क्षेत्र और आपातकालीन दरवाजा क्षेत्र में हैंड रेल और हैंड होल्ड का विवरण	
6.15	सीटों और सीट लेआउट का ब्यौरा सीटों का लेआउट संलग्न करें	
6.16	यात्री सीटों का पैमाना: (i) सीट की चौड़ाई (ii) बैक रेस्ट की ऊंचाई (iii) आर्म रेस्ट की चौड़ाई (iv) सीट गद्दों की गहराई (v) सीट स्थान (vi) सीट बेस ऊंचाई (vii) सीट के उपरी हिस्से का कोण (viii) सीट बेस मोटाई (ix) सीट बैक मोटाई (x) पैर की निकासी हेतु जगह (xi) बैठने की स्थिति पर खाली स्थान की ऊंचाई (xii) बैठने की स्थिति पर बाधा	
	क्या बस बॉडी कोड एआइएस: 052 में यथा-विनिर्धारण के अनुसार निम्नलिखित उपलब्ध कराए गए हैं	(हां/नहीं)
6.17	चालक कार्य क्षेत्र: नोट: बस ढांचा कोड में यथा विनिर्धारण के अनुसार उपलब्ध कराया जाने वाला ड्राइवर के लिए चालक दरवाजा, चढ़ाई सुविधा, हाथ का स्थान रखने, कार्य क्षेत्र पैमाना, स्टीयरिंग व्हील की स्थिति, उपकरण पैनल का स्थान, तार सज्जा के लिए उपरी ढांचा, नियंत्रण की स्थिति, हीटिंग / शीतलन / वेंटिलेशन ।	(हां/नहीं)
6.18	यात्री ठहराव क्षेत्र: नोट: यात्री ठहराव क्षेत्र का निर्धारण और बस ढांचा कोड में निर्दिष्ट के रूप में प्रदान किया जाता है।	(हां/नहीं)
6.19	बैठने की डिज़ाइन और स्टैंडी यात्री क्षमता: नोट: बैठने की गणना का संकेत और सीटों और स्टैंडी क्षेत्र के लेआउट के साथ यात्री वहन क्षमता से चली आ रही एक संकेत प्रत्रक संलग्न करें।	(हां/नहीं)

6.20	सार्वजनिक सूचना प्रणाली (श्रव्य / दृश्य / श्रव्य दृश्य):	(हां/नहीं)
6.21	ढांचा इन्सुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया सामग्री	(हां/नहीं)
6.22	अनुमोदित, प्रकार पर ध्यान आकृष्ट करना	(हां/नहीं)
6.23	विंड स्क्रीन वाइपिंग सिस्टम और चालक को दिखाई देने वाला क्षेत्र: विंड स्क्रीन वाइपिंग सिस्टम घटकों के टाइप अनुमोदन का ब्यौरा नोट: 1. विंड स्क्रीन वाइपिंग सिस्टम और चालक को दिखाई देने वाला क्षेत्र उपलब्ध कराया जाना। 2. अधिष्ठापन निष्पादन अनुपालन प्रस्तुत किया जाना।	(हां/नहीं)
6.24	पैड सामग्री:	(हां/नहीं)
6.25	अग्नि जोखिम से सुरक्षा:	(हां/नहीं)
6.26	प्राथमिक चिकित्सा उपकरण:	(हां/नहीं)
6.27	आंतरिक शोर स्तर का माप मूल्य:	(हां/नहीं)
6.28	ढांचा संरचना बल: अनुपालन रिपोर्ट विवरण संलग्न करें	(हां/नहीं)
6.29	बस संरचना स्थिरता: अनुपालन रिपोर्ट विवरण संलग्न करें	(हां/नहीं)
6.30	दरवाजे : कब्जा और दरवाजे के हैंडल का अनुपालन रिपोर्ट विवरण संलग्न करें। नोट: दरवाजा संरचनाएं, दरवाजे का कब्जा, दरवाजे के हैंडल और इथाइलीन प्रोपीलीन डिएने मोनोमर (इपीडीएम) रबर सीलिंग	(हां/नहीं)
6.31	दरवाजा अवयव के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट विवरण संलग्न करें:	(हां/नहीं)
6.32	प्रकाश, संकेतन और संकेत प्रणाली:	(हां/नहीं)
	क) बाहरी प्रकाश और सिग्नलिंग उपकरणों का अनुमोदन विवरण के प्रकार:	(हां/नहीं)
	ख) बाहरी प्रकाश व्यवस्था और सिग्नलिंग उपकरणों की स्थापना विवरण:	(हां/नहीं)
	(ग) आंतरिक प्रकाश का विवरण:	(हां/नहीं)
	रोशनी के उपकरणों, बल्ब प्रकार के, फोटोमेट्रिक आवश्यकता, डैश बोर्ड इसकी प्रकाश और नियंत्रण प्रकाश, ड्राइवर केबिन प्रकाश, यात्री कंपार्टमेंट प्रकाश और अन्य क्षेत्र प्रकाश की स्थिति को इंगित करें	(हां/नहीं)
6.33	विद्युत उपकरण और तारें:	(हां/नहीं)
	बिजली के तारों, फ़्यूज़, टर्मिनल, कनेक्टर और तत्वों के संबंध में अनुपालन स्थापित करने के लिए दस्तावेजों को शामिल करें: नोट: बिजली के तारों, फ़्यूज़, टर्मिनल, कनेक्टर और तत्वों प्रदान किया जाना।	(हां/नहीं)

6.34	विद्युत सर्किट सुरक्षा का विवरण:	(हां/नहीं)
-------------	---	-------------------

स्व घोषणा: - यह प्रमाणित किया जाता है

- ए) कि, उपर्युक्त वाहन के ढांचे का हमारे द्वारा निर्माण किया गया है और उसके निर्माण में एआईएस 052: और मोटर यान अधिनियम, 1988 के सभी प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है
- ख) कि, चेसिस, उसके समुच्चय या घटकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दिनांक:.....

बस-ढांचा निर्माता के हस्ताक्षर

स्थान:

बस-ढांचा निर्माता की मोहर"।

[फा.सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ.), दिनांकित 2 जून, 1989 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछले संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. _____ (अ.) दिनांकित _____ के तहत किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2017

G.S.R. 1377(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by section 110 the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email : js.tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 47,
 - in sub-rule (1), in clause (g), after the words and figures "Form 22A from the body-builders", the following words and figures shall be inserted, namely:-

“and, in case of self-certification of the bus body built on a drive away chassis by a bus body structure fabricator (hereinafter referred to as bus body builder), certificate of compliance in Form 22B”;

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:

“(4) On and from the commencement of this sub-rule, every bus body builder shall upload the bus body details against the relevant drive away chassis in the portal <https://www.vahan.nic.in/makermode1>”

3. In the principal rules, in rule 126, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that abus body builder may self-certify the bus body built on a drive away chassis certifying compliance to the requirements of the Code and Practice for Bus Body Design and Approval (hereinafter referred as bus body code) [AIS:052, as amended from time to time], as per the procedure notified by the Central Government in the official gazette.”

4. In the principal rules, after FORM 22A, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM 22B

[See rule 47(1)(g)]

PART-A

Initial self-certificate of compliance of the bus body built on drive away chassis by the bus body builder to the provisions of the Code and Practice for Bus Body Design and Approval (hereinafter referred as bus body code) AIS:052, as amended from time to time

1.	Name, address and telephone number of the bus body builder	
2.	Accreditation certificate details	
3.	Details of chassis on which bus is built	
3.1	Particulars of chassis manufacturer	
3.2	Chassis number	
3.3	Type of chassis : Ladder /semi-integral/integral	
3.4	Engine make and model	
3.5	Position of engine on vehicle	
3.6	Type of fuel	
3.7	Engine number	
3.8	Wheel base	
3.9	Type of transmission	
4.	Details of bus body built on the chassis	
4.1	Type I/II/III	
	Comfort category [NDX/SDX/DLX/ACX]	
4.2	(i) Designed seating (ii) Designed berth capacity (if applicable) (iii) Seat reservation for women/senior citizen/person with disability (iv) Standing capacity as applicable Enclose layout drawing	
4.3	Kerb weight	
5.	Overall dimensions	
	(i) Length	
	(ii) Width	
	(iii) Height	
	(iv) Front overhang	
	(v) Rear overhang	
	Enclose drawing indicating dimensions	

6.	Internal dimensions, technical and safety requirements	
6.1	Service doors: (i) Number of service doors (ii) Type of service door (manual/ power operated/ automatic) (iii) Location/position (dimensions to be furnished as per applicable requirements)	
6.2	Windows: (i) Type of windows (ii) Number of windows (iii) Position/locations of windows (iv) Dimensions of windows Enclose details of the windows provided.	
6.3	Guard rails - Enclose details of guard rails	
6.4	Emergency exits: (i) Number of exits (ii) Location of exits (iii) Type of emergency exits (i.e. emergency doors / emergency windows / emergency hatches etc.)	
6.5	Emergency door: (i) Dimensions (ii) Position (iii) Opening from inside or outside or both (iv) Access (v) Safety interlock (vi) Warning alarm in open position	
6.6	Emergency window: (i) Type of emergency window (ii) Dimensions (iii) Position (iv) Method of opening emergency window (v) Number of emergency windows (vi) Window glass breaking provision	
6.7	Escape hatches: (i) Type of emergency hatches (ii) Dimensions, position, (iii) Number of emergency hatches (iv) Method of opening (v) Glass breaking provision	
6.8	Details of method and procedure of marking of emergency exits	
6.09	Details of safety signs:	
6.10	Steps: Number of door steps Height of the steps Dimensions of the steps	

	Whether retractable/collapsible steps provided	
6.11	Details of access space from service door to inward of the vehicle	
6.12	Dimensions of floor area and height: (i) Floor area (ii) Floor height	
6.13	Details of gangway and access passage height, width and slope	
6.14	Details of hand rails and hand holds in the gangways, passage area, service door area and emergency door area	
6.15	Details of seats and seat layout. Enclose layout of seats.	
6.16	Dimensions of passenger seats: (i) Seat width (ii) Back rest height (iii) Arm rest width (iv) Seat cushion depth (v) Seat spacing (vi) Seat base height (vii) Torso angle (viii) Seat base thickness (ix) Seat back thickness (x) Clearance leg space (xi) Free height over seating position (xii) Intrusion over seating position	
Whether following are provided as stipulated in Bus Body Code AIS:052		(Yes/No)
6.17	Driver work area: Note: Driver door, climb facility, hand holds, work area dimensions, position of steering wheel, placement of instrument panel, shroud for wiring harness, position of controls, heating/cooling/ventilation for the driver to be provided as specified in the bus body code.	(Yes/No)
6.18	Standee passenger area: Note: Standee passenger area to be determined and provided as specified in the bus body code.	(Yes/No)
6.19	Designed seating and standee passenger capacity: Note: Enclose a sheet indicating calculations of the seating and standing passenger capacity along with layout of seats and standees area.	(Yes/No)
6.20	Public information system (audio/visual /audio visual):	(Yes/No)
6.21	Materials used for body insulation	(Yes/No)
6.22	Type approved rear view mirrors	(Yes/No)
6.23	Wind screen wiping system and driver field of vision: Type approval details of the wiping system components Note: 1. Wind screen wiping system and driver field of vision to be provided. 2. Installation performance compliance to be submitted.	(Yes/No)
6.24	Pad material:	(Yes/No)
6.25	Protection against fire risk:	(Yes/No)

6.26	First aid equipment:	(Yes/No)
6.27	Measured values of interior noise level:	(Yes/No)
6.28	Body structure strength: Enclose compliance report details	(Yes/No)
6.29	Bus structure stability: Enclose compliance report details	(Yes/No)
6.30	Doors: Enclose compliance report details of hinges and door handles. Note: Door structures, door hinges, door handles and ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber sealing	(Yes/No)
6.31	Enclose compliance report details in respect of door components:	(Yes/No)
6.32	Lighting, signaling and indicating system:	(Yes/No)
	a) Type approval details of external lighting and signaling devices:	(Yes/No)
	b) Installation details of external lighting and signaling devices:	(Yes/No)
	(c) Details of internal lighting: Indicate position of illumination devices, types of bulbs, photometric requirement, dash board tell-tale lighting and control lighting, driver cabin lighting, passenger compartment lighting and other area lighting	(Yes/No)
6.33	Electrical equipment and wiring:	(Yes/No)
	Enclose documents to establish compliance in respect of electrical cables, fuses, terminal, connector and elements: Note: Electrical cables, fuses, terminal, connector and elements to be provided.	(Yes/No)
6.34	Details of electrical circuit safety:	(Yes/No)

Self-Declaration: -This is to certify

- that, the body of the above vehicle has been fabricated by us and the same complies with the AIS:052 and all the provisions of the Motor Vehicles, Act, 1988 and the rules made thereunder;
- that, no alteration of chassis, its aggregates or components has been carried out.

Date:.....

.....

Signature of the body builder

Place:.....

Seal of the body builder".

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. ____ (E) dated _____.